न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4874

अशोक कुमार पुत्र स्व. रामकृष्ण अग्रवाल
निवासी – नौगॉव जिला – छतरपुर (म.प्र.)

………… आवेदक

विरूद्ध

श्री ……… द्वारा आज दि. 6.12.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.)

2– प्रमिला पत्नी स्व. प्रमोद कुमार
निवासी – नौगॉव जिला छतरपुर म.प्र.

3– अशुंल अग्रवाल पुत्री स्व. प्रमोद कुमार पत्नी नितिन अग्रवाल
निवासी – मऊरानीपुर तहसील व जिला झांसी (उ.प्र.)

4– रूपक अग्रवाल पुत्री स्व. श्री प्रमोद कुमार

5– नेहा पुत्री स्व. श्री प्रमोद कुमार

6– प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. रामकृष्ण अग्रवाल
निवासीगण – नौगॉव जिला – छतरपुर (म.प्र.)

………… अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 302/स्वमेव निगरानी/अ–ए/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, रामकृष्ण पुत्र विन्द्रावन अग्रवाल ने एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी तहसील नौगांव के समक्ष इस आशय से पेश किया था कि भूमि खसरा नं. 516 रकवा 0.299 मोटर बस स्टेण्ड नौगांव के पास स्थित है। उक्त भूमि कृष्ण पुत्र सेठ मोहनलाल से क्रय किया था। उक्त भूमि पर से शासन का नाम हटाया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये। इसी बीच आवेदकगण के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक--एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4874

अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 302/स्व.निग./अ-ए/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 23-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	